>

Title: Need to ban telecasting of violent scenes and obscenity on visual and print media.

**श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा):** देश में इस समय विभिन्न दूर दर्शन प्रसार माध्यमों द्वारा वीभत्स अश्लील, नग्न एवं भयावह घटनाओं का प्रसारण किया जा रहा है, इससे देश का जन मानस, विशेषकर युवा वर्ग का मन-मस्तिÂक विकृत हो रहा है। व्यक्ति पठ्य, श्रव्य, एवं दृश्य - इन तीन माध्यमों से प्रभावित होता है। पठ्य अर्थात पढ़ने से भी व्यक्ति प्रभावित होता है। पढ़ने से ज्यादा श्रव्य अर्थात् सुनने से प्रभावित होता है। इसी से कहानी सुनने और सुनाने की परम्परा प्रारम्भ हुई। दृश्य अर्थात् देखने से व्यक्ति सर्वाधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति की इसी अभिरूचि के कारण रंगमंच प्रारंभ हुआ। कोई युवक जब पर्दे पर या प्रसार माध्यमों पर नायक को या खलनायक को किसी खराबी, जुआरी, व्याभिचारी या ऐसे ही अनेक दुर्गुणों से युक्त देखता है तो उस अभिनय को अपने असली जीवन में उतारने की कोशिश करता है। यदि हमें महान देश का निर्माण करना है तो देश में श्रेÂठ नागरिकों का निर्माण करना होगा। इलैक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों द्वारा समाज के सामने जो वारदात, अश्लील, नग्न एवं भवावह चित्रों तथा घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे हमारा पूरा देश और समाज विकृत रूचि, भयंकर दिभ्रम एवं असीम दिशाहीनता की दलदल में धंसता जा रहा है। इस खतरे से देश को बचाने के लिए इलैक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले चित्रों एवं घटनाओं का एक आदर्श आचार मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे स्वस्थ लोक रूचि का निर्माण किया जा सके। अश्लील, विकृत, फूहड एवं भयावह दृश्यों के प्रसारण पर अविलम्ब रोक लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।